ग्राम पंचायत रानीताल, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत रानीताल, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती प्रवीन बोबी	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जीवन कुमार	01-04-21 से 05-06-22
2.	श्री रवि कुमार	06-06-22 से 31-03-23

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत रानीताल के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.61

			30.41
2.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	
3.	6	प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	1.89
4.	7	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.34
5.	9	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से सम्भावित राजस्व हानि	0.60
6.	10	क्रय किये गये सामान का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न पाया जाना	9.60
7.	11	मूल बिलों को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	0.78
8.	12	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.04
9.	13	निर्माण कार्य Construction of Ambulance road main road to Zero point के लिए निर्माण सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में अधिक/अनियमित व्यय करना	0.11

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः-

ग्राम पंचायत रानीताल, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03 /2023" तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 28-03-2024 से 05-04-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, रानीताल में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	03/22	11/21
2022-23	05/22	03/23

<u>अस्वीकरण</u> :- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत रानीताल, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 219 दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत रानीताल से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत रानीताल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत रानीताल के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	447914.00	19343.00	467257	24728.00	442529.00
2022-23	442529.00	327860.09	770389.09	72782.00	697607.09

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत रानीताल के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	2133479.08	4838480.71	6971959.79	4075251.50	2896708.29
2022-23	2896708.29	4790656.30	7687364.59	4646315.29	3041049.30

{ग} दिनाँक 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General/5TH FC/RGSA	HGB RANITAL	87700100002920	1298282.07
2.	General/5TH FC	KCCB RANITAL	20033022802	319372.71
3.	14TH FC	HGB RANITAL	87700100071698	0.00
4.	14TH FC	HDFC KANGRA	50100255043179	0.00
5.	IWDP	HGB RANITAL	87700100056954	30041.00
6.	MPLAD	HGB RANITAL	87700100071944	3465.00
7.	VKVNY	HGB RANITAL	87700100071704	116155.54
8.	GRDY	HGB RANITAL	87700100071962	0.00
9.	SDP	HGB RANITAL	87700100071953	407909.40
10.	AAY/RGAY	HGB RANITAL	87700100071661	0.00
11.	TSC	HGB RANITAL	87700100071971	0.00
12.	VJMS	HGB RANITAL	87700100053179	34621.00
13.	15TH FC	HDFC KANGRA	50100347349160	1468034.72
			हस्तगत रोकड़	21.00
			कुल योग	**3677902.44**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	3738656.39
दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	**3677902.44**
अंतर	**60753.95**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.61 लाख का अन्तर पाया जाना :-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में दिनांक 31-03-23 को **₹60753.95** की राशि का अन्तर था । पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217(1) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत रानीताल से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 01/GP Ranital दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों एवं बैंक शेषों का तदानुसार मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को तैयार न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है। अत: अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

5. अनुदान राशि ₹30.41 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है|

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान ₹3041049.30 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217(2) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत रानीताल से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या 01/GP Ranital दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्ति हो चुकी है, उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्य हेतू नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये|

6. प्रिया सॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹1.89 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है जिसका क्रियान्वन पंचायती राज विभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (समान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागजरहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayt में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा था तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा रहें थे, वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नहीं खाते । परिणामस्वरूप ₹189729.94 का अंतर पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(क) चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार मासिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (except manrega) :-

क्रम स.	माह	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	03/22	119345.00	126187.00	6842.00	63263.20	69428.20	6165.00
2	05/22	77871.00	76471.00	1400.00	70097.00	4500.00	65597.00
3	03/23	1285706.05	498507.25	787198.80	1272853.75	676534.75	596319.00

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर अंतर (except manrega) :-

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	21-22	2262161.63	2016745.71	245415.92	1321082.90	1258901.50	62181.14
2	22-23	3149297.19	2783185.39	366111.80	2597589.89	2383766.29	213823.60

(ग)प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)	अंतर
2022-23	3867611.38 + 21 (Cash in Hand) = 3867632.38	3677902.44	189729.94

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217(4) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या 01/GP RANITAL दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.34 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 33 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹33700 के पंचायत राजस्व की

वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	**पंजीकृत परिवारों की संख्या**	**दर**	**आ. शेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2021-22	477.00	100	23800.00	47700	71500	300.00	71200
2022-23	477.00	100	71200	47700	118900	85200.00	33700

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके। अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना स्पष्ट करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना के कारण गम्भीर आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217(3) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या 01/GP RANITAL दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व की नियमित वसूली न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे

प्रधान सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी द्वारा जारी अधिसुचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)96 दिनांक 21 जून 2017 के पैरा 3.4 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर की स्थापना पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ₹4000 से बढ़ाकर ₹10000 स्थापना शुल्क एवम प्रतिवर्ष ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है | पैरा 3.4 (ii)के अनुसार हर 5 साल के पूरा होने पर नवीनीकरण शुल्क में 25 % की बढ़ौतरी की

जाएगी। पैरा 3.4 (iv) के अनुसार कोई भी मोबाइल टावर कम्पनी यदि अतिरिक्त अन्टेना किसी स्थापित टावर पर लगाएगी तो उसे वार्षिक शुल्क का 60% नवीनीकरण देना होगा।

इसके अतिरिक्त पैरा 3.4 (vi) के अनुसार यदि कोई मोबाइल टावर कम्पनी नोटिस की तिथि से 30 दिन के अंदर शुल्क नही चुकाती है तो उसे प्रति सप्ताह 5% दंड शुल्क भी चुकाना होगा परन्तु यदि लम्बित राशि नोटिस की तिथि से दो माह तक भी नही चुकाई जाती है तो ग्राम पंचायत सम्बन्धित कम्पनी की अनुमति रद्द करने बारे नोटिस जारी कर सकती है।

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2021-2022 में पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मोबाइल टावर कंपनी से वसूली योग्य राशि की जांच अंकेक्षण द्वारा नही की सकी, जो पंचायती राज (वित्त) नियम 2002 के नियम 79(2) की स्पष्ट उलंघना है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217(8) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01/GP RANITAL दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राशि ₹0.60 लाख की सम्भावित राजस्व हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप

आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार **₹60133/-** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

सामग्री का नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि
रेत	115.39	1.62	186.93	60	11216
बजरी	223.75	1.52	340.10	60	20406
पत्थर	85.76	2.24	192.10	60	11526
रेत	9.77	1.62	15.82	80	1266
बजरी	20.67	1.52	31.42	80	2514
पत्थर	6.57	2.24	14.72	80	1178
				कुल योग	**48106**
				पेनल्टी 25%	12027
				कुल योग	**60133**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 218(9) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01/GP RANITAL दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण रॉयल्टी की गणना नहीं की जा सकी। उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः **₹60133/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार सम्बन्धित समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

10. क्रय किये गये सामान राशि ₹9.60 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये सामान का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के दौरान की गई खरीद के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹959778.58 के स्टॉक को क्रय उपरांत स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नही किया गया था :-

क्रम संख्या	बिल/वा० संख्या, वर्ष/माह	भुगतान की तिथि	फर्म का नाम	विवरण	मात्रा	बिल की राशि
1.	**105**, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. विजय कुमार फेब्रिकेसन	रेत बजरी	9.53 cubm 18.67 cubm	36713.81
2.	473, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. विजय कुमार फेब्रिकेसन	रेत बजरी बोल्डर	9.87 cub 19.72 cubm 6.81 cubm	46334
3.	166, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. विजय कुमार फेब्रिकेसन	रेत बजरी बोल्डर	21.19 cubm 41.96 cubm 35 cubm	112992
4.	474, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. विजय कुमार फेब्रिकेसन	रेत बजरी बोल्डर	12 cubm 22.96 cubm 24.36 cubm	54000
5.	171, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. विजय कुमार फेब्रिकेसन	रेत बजरी बोल्डर	8.72 cubm 17.44 cubm 25.44 cubm	49638
6.	164, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. विजयकुमार	रेत बजरी	6.85 cubm 13.70	39288

			फेब्रिकेसन	बोल्डर	cubm 22.95 cubm	
7.	484, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. विजय कुमार फेब्रिकेसन	रेत बजरी बोल्डर	8.85 cubm 17.71 cubm 16.92 cubm	39763
8.	104, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. विजय कुमार फेब्रिकेसन	रेत बजरी	5 cubm 10 cubm	19250
9.	102, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. विजय कुमार फेब्रिकेसन	रेत बजरी बोल्डर	4 cubm 8 cubm 0.73 cubm	13989
10.	169, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. विजय कुमार फेब्रिकेसन	रेत बजरी बोल्डर	6.26 cubm 10.92 cubm 0.73 cubm	21752
11.	106, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. विजय कुमार फेब्रिकेसन	रेत बजरी बोल्डर	5 cubm 10 cubm 0.73 cubm	17743.55
12.	109, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. विजय कुमार फेब्रिकेसन	रेत बजरी बोल्डर	6 cubm 12 cubm .48 cubm	22030.80
13.	170, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. विजय कुमार फेब्रिकेसन	रेत बजरी	6.48 cubm 11 cubm	21875
14.	172, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. विजय कुमार फेब्रिकेसन	रेत बजरी बोल्डर	5.64 cubm 9.67 cubm	19019
15.	10991, दिनाँक 15.09.21	17.11.2021	मै. हि. प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	92 बैग	29655
16.	10993, दिनाँक 15.09.21	17.11.2021	मै. हि. प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	54 बैग	17405.82
17.	10990, दिनाँक 15.09.21	17.11.2021	मै. हि. प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	100 बैग	32234
18.	10989, दिनाँक 15.09.21	17.11.2021	मै. हि. प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	120 बैग	38680
19.	017, दिनाँक	17.11.2021	मै. लक्ष्मी	टाइल्स	4000 nos.	71600

	27.09.21		ट्रेडर्स			
20.	015, दिनाँक 27.09.21	17.11.2021	मै. लक्ष्मी ट्रेडर्स	टाइल्स	5000 nos.	89500
21.	016, दिनाँक 27.09.21	17.11.2021	मै. लक्ष्मी ट्रेडर्स	टाइल्स	9000 nos.	161100
22.	6397, दिनाँक 04.08.21	17.11.2021	मै. शर्मा ट्रेडर्स	सरिया	12MM	5215.60
					कुल योग	**959778.58**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 218(12) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01/GP RANITAL दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 राशि ₹0.78 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) को सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा|

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार निम्न भुगतान से सम्बन्धित मूल बिलों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया, जिसके कारण भुगतान की गई राशि की सत्यता की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	शीर्ष/ आयोग	राशि
1.	P/20 दिनांक 26.03.2023	15^{TH} FC	26140
2.	P/21 दिनांक 26.03.2023	15^{TH} FC	13070
3.	P/22 दिनांक 26.03.2023	15^{TH} FC	13070
4.	P/23 दिनांक 26.03.2023	15^{TH} FC	13070
5.	P/24 दिनांक 26.03.2023	15^{TH} FC	13070
		कुल योग	**78420**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 218(14) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01/GP RANITAL दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

12. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाना अपेक्षित है:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि**
1	2021-22	1200
2	2022-23	2600
	कुल योग	**3800**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 211(7) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01/GP RANITAL दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त निर्देशानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13 निर्माण कार्य Construction of Ambulance road main road to Zero point के लिए क्रय निर्माण सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में राशि ₹11295/- का अधिक भुगतान/अनियमित व्यय करना :-

निर्माण कार्य **Construction of Ambulance road main road to Zero point** के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 17827, पृष्ट संख्या 71-73, में निर्माण सामग्री (टाइल्स) का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री (टाइल्स) का क्रय अधिक किया गया था जबकि बची हुई सामग्री को भी स्टॉक रजिस्टर में वापिस नहीं लिया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1	टाइल्स	9000 Nos.	8369 Nos.	631 Nos.	17.90	11295
					कुल योग	**11295**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 218(13) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01/GP RANITAL दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उक्त कार्य हेतु क्रय निर्माण सामग्री की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400 की वसूली न करने बारे

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य) व आई . आर. डी. पी./बी.पीएल.के लिए ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के

बाद 90 दिनों के भीतर ₹400 (सामान्य) से व 50 आई . आर. डी. पी./बी.पीएल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 04/21 से 03/23 के दौरान निम्नलिखित विवाह आवेदकों का पंजीकरण किया गया था | परन्तु उक्त अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित आवेदकों से विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई थी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अनुसार क्रम संख्या**	**आवेदक का नाम**	**विवाह की तिथि**	**पंजीकरण की तिथि**	**वसूली योग्य राशि (₹)**
1.	24	श्री मुकेश चंद पुत्र श्री प्रकाश चंद	21.05.2022	27.05.2022	200
2.	25	श्री विपन कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार	09.05.2022	27.05.2022	200
				कुल योग	**400**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217(6) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01/GP RANITAL दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

15. दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल में उपस्थित पंचायत सदस्यों की उपस्थिति की जाँच पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के साथ करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति

समान दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में दर्ज की गयी थी, जो कि अनियमित है |

उपरोक्त अनियमितता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि	पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	मनरेगा की मजदूरी के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)
1.	श्री तिलक राज, वार्ड पंच	.....6797..... 17.10.2021 से 30.10.2021	C/O link road to Hand pump	20.10.2021	20.10.2021	250	203
	श्रीमती अनु बाला, वार्ड पंच	.....6799..... 17.10.2021 से 30.10.2021	C/O road, main road to Bhim singh Jugal Kishor land ward no. 4	20.10.2021	20.10.2021	250	203

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217(5) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01/GP RANITAL दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है ।

क्र° स°	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1	2021-22	11/21	1113346.00
2	2022-23	03/23	785456.75

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 218(10) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01/GP RANITAL दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

17. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 11/21 व 03/23 के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 11/21 व 03/23 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 218(11) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01/GP RANITAL दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

18 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3.	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
4.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 218(15) दिनांक 05.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या 01/GP RANITAL दिनांक 05.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

19. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

20. **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

21. **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

25 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

फा0/50
2949 – 2953

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(2)403/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत रानीताल, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें। 176029

25 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

फा0/50

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT RANITAL BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176038

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	447914.00	19343.00	467257	24728.00	442529.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2021 IN CASH BOOK **447914.00**

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT RANITAL BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176038

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	442529.00	327860.09	770389.09	72782.00	697607.09

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **442529.00**

J.A

परिशिष्ट-1 पैरा 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP RANITAL BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2021-22

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	462561.00	6965.00	469526.00	169422.72	300103.28
2	MGNREGA	0	2841078.00	2841078.00	2841078.00	0.00
3	AAY	8700.00	264.00	8964.00	0.00	8964.00
4	5TH FC	609111.00	476674.71	1085785.71	235190	850595.71
5	RGSA	0.00	510000.00	510000.00	366973.20	143026.80
6	MPLAD	3271.00	100.00	3371.00	0.00	3371.00
7	VMJS	32685.00	991.00	33676.00	0.00	33676.00
8	VKVNY	284432.74	7802.00	292234.74	270544	21690.74
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	IWDP	28361.00	860.00	29221.00	0.00	29221.00
11	TSC	66430.14	2015.00	68445.14	0.00	68445.14
12	GRDY	46239.20	1403.00	47642.20	0.00	47642.20
13	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	208855.00	164850.00	373705.00	164000.00	209705.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	382833.00	825478.00	1208311.00	28043.58	1180267.42
	TOTAL	**2133479.08**	**4838480.71**	**6971959.79**	**4075251.50**	**2896708.29**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP RANITAL BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	300103.28	6491.00	306594.28	248301.95	58292.33
2	MGNREGA	0.00	2335331.00	2335331.00	2335331.00	0.00
3	AAY	8964.00	252.00	9216.00	9216.00	0.00
4	5TH FC	850595.71	315987	1166582.71	328680	837902.71
5	RGSA	143026.80	50000.00	193026.80	161217.00	31809.80
6	MPLAD	3371.00	94	3465.00	0	3465.00
7	VMJS	33676.00	945.00	34621.00	0.00	34621.00
8	VKVNY	21690.74	189071	210761.74	94459	116302.74
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	IWDP	29221.00	820.00	30041.00	0.00	30041.00
11	TSC	68445.14	820.00	69265.14	69265.14	0.00
12	GRDY	47642.20	1338.00	48980.20	48980.20	0.00
13	RGSA	0.00	420000.00	420000.00	420000.00	0.00
14	SDP	209705.00	297704.00	507409.00	99500.00	407909.00
15	MMGPY	0.00	52671.00	52671.00	0.00	52671.00
16	15TH FC	1180267.42	1119132.30	2299399.72	831365.00	1468034.72
	TOTAL	**2896708.29**	**4790656.30**	**7687364.59**	**4646315.29**	**3041049.30**

GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK

2896708.29

Secretary
Gram Panchayat Ranital
Dev. Block Kangra (H.P.)

J.A.